

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0-201 / 2026

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2028 (सत्र 2026-2028) में सम्मिलित होने के लिए-

- (i) ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि निर्धारित करने एवं
- (ii) इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन **Submit** करने के संबंध में

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2026-28** के लिए (i) मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों के विद्यार्थियों तथा (ii) स्वतंत्र कोटि के मात्र **कला व वाणिज्य संकायों** के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा (वर्ष 2028) में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं:-

- (i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 18 से 36 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
 - (ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।
2. स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाए, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।
 3. इस अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ **(Pre-filled)** घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन **Submit** किया जाएगा।
 4. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप विधिवत नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के संगत एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का ही सूचीकरण इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026-28 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाए। बाद में किसी भी तरह के संशोधन/परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

5. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद्द/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

6. यदि विद्यालय का **U-DISE+Code** एवं छात्र/छात्राओं का अपार आईडी0 (**APAAR Id**) आवंटित है, तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन प्रपत्र के यथा निर्दिष्ट स्थल पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

7. उपरोक्त कंडिका 1 में अंकित (i) से संबंधित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के खण्ड – 'B' के क्रमांक 18 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नं० आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 19 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 18 एवं 19 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।

7.1 कंडिका 1 में अंकित (ii) से संबंधित सूचीकरण/अनुमति आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 15 में विद्यार्थी का आधार नम्बर अंकित किया जाएगा। यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड नं० आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा क्रमांक 16 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 15 एवं 16 में तत्संबंधी निदेश स्पष्ट रूपेण अंकित है।

8. सत्र 2022-24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा-सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाइल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes) ट्रेड के पठन पाठन की शुरुआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।

8.1 वैसे चिन्हित +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा।

8.2 राज्य/जिला के अन्य +2 विद्यालय, जो व्यावसायिक ट्रेड के पठन-पाठन हेतु चिन्हित नहीं हैं, के विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त कंडिका 8 में अंकित ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा। विदित हो कि इन विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-21 से इन्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषय योजना लागू है, जो सत्र 2026-28 के लिए मान्य रहेगा :-

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए विषय संरचना

1	विषय	विषयों के नाम
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)	भाषा विषय - 1	हिन्दी अथवा अंग्रेजी (100 अंक)
	भाषा विषय - 2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय-1 में नहीं लिया गया हो)-(100 अंक)
ऐच्छिक विषय समूह (Elective Subject Group)	ऐच्छिक विषय -1 ऐच्छिक विषय -2 ऐच्छिक विषय -3	कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों में से किसी एक संकाय के तीन विषय (पूर्व की भाँति)-(100 अंक प्रत्येक विषय)

अतिरिक्त विषय समूह (Additional Subject Group)	अतिरिक्त विषय	उक्त भाषा विषय-2 के विषयों में से कोई एक विषय जो अनिवार्य विषय समूह अर्थात् भाषा विषय-1 या 2 के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो। अथवा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय का कोई एक विषय (जो विद्यार्थी जिस संकाय का हो, वे उस संकाय के कोई एक विषय, जो ऐच्छिक विषय समूह के अन्तर्गत नहीं लिया गया हो)। अथवा 1. विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए— (क) कम्प्यूटर साईंस अथवा (ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी में से कोई एक विषय। 2. कला संकाय के विद्यार्थी के लिए— (क) कम्प्यूटर साईंस अथवा (ख) मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी अथवा (ग) योग एवं शारीरिक शिक्षा में से कोई एक विषय।
नोट :-1. इन्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थी को कुल 05 विषयों यथा-भाषा विषय-1, भाषा विषय-2, ऐच्छिक विषय-1, ऐच्छिक विषय-2 तथा ऐच्छिक विषय-3 का अध्ययन करना अनिवार्य है। 2. इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन कर सकते हैं।		

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए विषय संरचना

1	विषय	विषयों के नाम
	2	3
अनिवार्य विषय (Compulsory Subjects)	भाषा विषय - 1	हिन्दी अथवा अंग्रेजी (100 अंक)
	भाषा विषय - 2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली एवं बांग्ला में से कोई एक (जो भाषा विषय-1 में नहीं लिया गया हो)– (100 अंक)
ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)	ऐच्छिक विषय -1	फाउंडेशन कोर्स (100 अंक)
	ऐच्छिक विषय -2	व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड- पत्र-I (50 सैद्धांतिक + 50 प्रायोगिक =100 अंक)
	ऐच्छिक विषय -3	व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड- पत्र-II (50 सैद्धांतिक+50 प्रायोगिक=100 अंक) नोट:-द्वितीय एवं तृतीय ऐच्छिक विषय विद्यार्थी द्वारा चयनित एक ही ट्रेड के दो पत्र होंगे।
अतिरिक्त विषय (Additional Subjects)		Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Agriculture, Business Studies, Accountancy, Entrepreneurship, History, Political Science, Sociology, Economics Psychology, Home Science, Geography, Music, Philosophy, Yoga & Phy. Education में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है। नोट :-वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने छठे अतिरिक्त विषय का चयन किया है, सभी छः विषयों में उत्तीर्ण है तो पास प्रतिशत की गणना नामांकन लेने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान या नियोजक के द्वारा अपने निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।
नोट :- 1. इन्टरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 5 अनिवार्य विषयों यथा- भाषा विषय- 1, भाषा विषय-2, ऐच्छिक विषय-1, ऐच्छिक विषय-2 तथा ऐच्छिक विषय-3 का अध्ययन करना अनिवार्य है। 2. इसके अतिरिक्त, यदि विद्यार्थी चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन उपरोक्त तालिका के अनुसार कर सकते हैं। 3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिए ट्रेड विषय को छोड़कर शेष अन्य विषय का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें वही हैं, जो कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संगत विषयों के लिए लागू हैं।		

9. सत्र 2026-28 में नियमित (Regular) कोटि के नामांकित विद्यार्थियों एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :-

9.1 मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान दिनांक 08.09.2026 से दिनांक 24.09.2026 तक की अवधि में समिति के वेबसाइट <https://intermediate.biharboardonline.com> से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र की अलग-अलग दो प्रति में डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, जिसमें विद्यार्थी द्वारा चयनित विषय एवं अन्य विवरणी को कंडिका 1 में वर्णित निदेश के अनुसार भरा जाएगा।

9.2 शुल्क दिनांक 22.09.2026 तक ही जमा किया जाना है:- उक्त निर्धारित अवधि (08.09.2026 से 24.09.2026) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सूचीकरण/अनुमति आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 08.09.2026 से 22.09.2026 तक की अवधि में ही जमा किए जाएंगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया गया है, उनका सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा। किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन छूट गया है तो सूचीकरण/अनुमति आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 22.09.2026 के बाद अगले दो दिन अर्थात् दिनांक 24.09.2026 तक ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जा सकेगा।

9.3 इस तरह वर्णित इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थान को शुल्क जमा किए गए विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने हेतु अतिरिक्त दो दिनों का अवसर मिलेगा।

9.4 ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।

9.5 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के पास जमा किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने स्तर पर संधारित किया जाएगा। इसके उपरान्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने कार्यालय में विधिवत् संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रविष्टियों का मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे कि विद्यार्थी द्वारा सूचीकरण आवेदन में भरे गये विवरण शिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप हैं।

9.6 शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति के वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे।

9.7 शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की दो प्रति, जो प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित सुधार कर उसकी एक प्रति अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः शिक्षण संस्थान के प्रधान को पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन कराने हेतु उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति पर संस्थान का हस्ताक्षर मुहर प्राप्त कर अपने पास रख लेंगे।

9.8 विद्यार्थी द्वारा सुधार कर प्राप्त कराए गए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर दिनांक 24.09.2026 तक वांछित संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे; जिसका लिंक समिति के वेबसाइट <https://intermediate.biharboardonline.com> पर उपलब्ध रहेगा।

10. सूचीकरण कराने वाले नियमित कोटि के कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए :-

ऐसे विद्यार्थी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड यथा-सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0/बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड इत्यादि से 10^{वीं}/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं सत्र 2026-28 में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित होकर नियमित विद्यार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2026-28 में शामिल होना चाहते हों, उनका सूचीकरण नियमित कोटि के परीक्षार्थी के रूप में होगा। ऐसे परीक्षार्थी यदि सत्र 2026-28 में नामांकन के आधार पर इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2028 अथवा आगामी वर्षों की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें इसी सत्र 2026-28 में अनिवार्य रूप से सूचीकरण कराना होगा। सत्र 2026-28 के नामांकन के आधार पर आगामी सत्र 2027-29 के लिए सूचीकरण नहीं कराया जा सकेगा। सत्र 2027-29 में सूचीकरण कराये जाने हेतु उन्हें पुनः विहित प्रक्रियानुरूप उक्त सत्र (2027-29) में 11वीं कक्षा में नामांकन कराना होगा। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा।

11. स्वतंत्र (Private) कोटि के विद्यार्थियों के संबंध में :-

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र-2026-28 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान उपर्युक्त कंडिका 9 में निर्दिष्ट निदेश के आलोक में दिनांक 08.09.2026 से दिनांक 24.09.2026 तक की अवधि में ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति के वेबसाइट <https://intermediate.biharboardonline.com> पर उपलब्ध रहेगा।

11.1 स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास स्थान वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

11.2 स्वतंत्र कोटि के ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10^{वीं} की परीक्षा में उत्तीर्ण हों, मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण करा सकते हैं।

11.3 स्वतंत्र कोटि के छात्र के लिये प्रावधान है कि वे 10^{वीं} की परीक्षा की उत्तीर्णता के 3 वर्ष में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु छात्रा के लिये इसमें एक वर्ष की छूट है। अर्थात् मैट्रिक/10^{वीं} की परीक्षा में जो छात्र 2025 में या इसके पूर्व एवं जो छात्रा 2026 में या इसके पूर्व उत्तीर्ण हुए हैं/हुई हैं, वे ही स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थी के रूप में मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2028 में सम्मिलित होने हेतु सूचीकृत हो सकते/सकती हैं। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा। विज्ञान संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।

12. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए :-

व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र 2026-28 के लिए नामांकित नियमित विद्यार्थी ही सूचीकरण कराने की पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही विद्यार्थी का सूचीकरण आवेदन एवं शुल्कादि ऑनलाइन जमा करेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड है।

12.1 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान नहीं है।

12.2 अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी, जो सामान्यतः इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई:-

13. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों का सूचीकरण निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराए जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।

14. वर्तमान सत्र 2026-2028 के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन (अथवा अपडेशन) OFSS के माध्यम से किया गया हो और किसी कारणवश महाविद्यालय/+2 विद्यालय की मान्यता निलंबित/रद्द की गई हो और सूचीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की भाँति किसी निकट के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से निलम्बित/रद्द वाले महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बद्ध कर ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं तत्संबंधी शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।

15. सूचीकरण/अनुमति हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

मद		शुल्क
सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के विद्यार्थियों के लिए)		60/-
ऑनलाइन शुल्क रु० 55/- (पचपन) में से रु० 30/- (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी/मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।		55/-
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i) सूचीकरण शुल्क	400/-
	(ii) इमीग्रेशन शुल्क	200/-
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i) सूचीकरण शुल्क	400/-
	(ii) इमीग्रेशन शुल्क	200/-
	(iii) अनुमति शुल्क	400/-
नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क		515/-
स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क		915/-
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 th उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10 th उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मूल प्रजनन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।		
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 th उत्तीर्ण नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क		715/-
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 th उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए कुल शुल्क		1115/-

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र-2026-28 में कम्पार्टमेंटल, क्वालीफाईंग, समुन्नत एवं पूर्ववर्ती कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले सूचीकृत परीक्षार्थियों को पुनः सूचीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

16. विगत कई वर्षों में कुछ विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने के समय कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा निर्धारित शुल्क ससमय जमा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का परीक्षाफल लंबित रह जाता है, जो उचित नहीं है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरान्त ही सूचीकरण/अनुमति आवेदन स्वीकार किए जाएँगे। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :-

ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन-पत्र भरे जाने की प्रक्रिया :-



16.1 शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :- शिक्षण संस्थान के प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय का User Id एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति के वेबसाइट- <https://intermediate.biharboardonline.com> के लिंक पर Click here for Intermediate Registration-2026-28 पर Click करेंगे। सूचीकरण शुल्क भुगतान के लिए "Registration Payment" पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट के होम पेज पर बाएँ भाग

में उपलब्ध रहेगा। सूचीकरण/अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :-

- 16.2 ई-चालान से नगद भुगतान :- सूचीकरण शुल्क ई-चालान के माध्यम से Indian Bank के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान ई-चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाए।
- 16.3 NEFT के माध्यम से भुगतान :- शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जाएगी।
- NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।
 - जिस बैंक खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।
 - यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक के Suspense Account में जमा हो जाती है। अतः शिक्षण संस्थान के प्रधान NEFT से राशि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरान्त उस बैंक से अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो गया है।
 - यदि पहली बार किसी बैंक के Account से NEFT से भुगतान किया जा रहा हो, तो उस बैंक में अपने Account का CIF नंबर (स्पेशल कैरेक्टर रहित) जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
 - NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।
 - ऑनलाइन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।

17. विद्यार्थी के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में :-

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, सत्र 2026-28 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उस पर संबंधित विद्यार्थी का फोटो का साइज एवं प्रकार निम्नवत् रहना अनिवार्य है :-

(i) फोटो का साइज एवं प्रकार :-

Image Size : 35mm x 30mm का हो।
(40-100kb के बीच jpg/jpeg फॉरमेट में हो)।
Head Size/Face Size : 25mm X 20 mm
Background : Plain White or Light Green

(ii) स्कैन किया हस्ताक्षर का नमूना (jpg/jpeg) फॉरमेट (3.5cm. width X 1cm. height) में हो तथा आकार 5-20 kb से अधिक न हो।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि स्कैन किया गया फोटो उपर्युक्त साइज से भिन्न रहने पर समिति के वेबसाइट पर उनका सूचीकरण आवेदन ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकेगा।

18. सभी संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरान्त ही अपनी निगरानी एवं देख-रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में आपके द्वारा इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध करायी जा सके। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचीकरण प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

19. दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की अवधि में जिन विद्यार्थियों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनके विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण/अनुमति आवेदन Submit करने के संबंध में

19.1 जिन विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक की निर्धारित अवधि में भरे जाएँगे, उनकी विवरणों की परिशुद्धता एवं सत्यापन हेतु पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करते हुए इसी अवधि में सूचीकरण/अनुमति आवेदन Submit किया जाएगा।

19.2 उक्त अवधि (दिनांक 08.09.2026 से 24.09.2026 तक) में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाएँगे, उनका पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) विवरणयुक्त घोषणा पत्र "Declaration Upload Menu" में जाकर Download किया जाएगा तथा इस पर विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त समिति के पोर्टल पर Upload Button पर Click कर अपलोड किया जाएगा। Upload Button पर Click करने के बाद ही सूचीकरण/अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit होगा।

19.3 पूर्व से भरा हुआ (Pre-filled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का पंजीयन/अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit नहीं होगा, जिसके कारण पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहेगा।

20. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

21. सत्र-2026-28 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

22. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2026-28 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

23. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं० 0612-2230039, अथवा E-mail bsebinterhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।